तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **संदीप चौधरी बनाम राजस्थान सरकार** **प्रार्थना पत्र बाजदायरी जीसीएमएस नम्बर 2023/508**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना बाजदायरी बाबत अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने पर सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 06.01.2015 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उक्त अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त अपील की पैरवी करने हेतु अपने पूर्व अधिवक्ता को दे रखी थी तथा पूर्व अधिवक्ता ने अपीलार्थी को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रखा था कि अपीलार्थी की उक्त अपील में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जब भी अपीलार्थी की उक्त अपील में आवश्यकता होगी सूचित कर दिया जावेगा। जिससे अपीलार्थी निश्चित हो गया। अपीलार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के बार–बार उक्त अपील के संबंध में जानकारी लेने पर यही बताया कि अभी कार्यवाही विचाराधीन है आप निश्चित रहे जल्दी ही उक्त अपील का फैसला करवा देंगें। लेकिन अपीलार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील में पैरवी नहीं करने के कारण उक्त अपील अदम पैरवी में अदम हाजरी में दिनांक 6.10.2015 को ही खारिज फरमा दी गई। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को अपने अधिवक्ता श्री सांवतराम गुर्जर के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त अपील के बारे में जानकारी प्राप्त की तो अपीलार्थी को जानकारी हुई कि उक्त अपील दिनांक 06.01.2015 को ही अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2023 को जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त बाजदायरी अपील दिनांक 06.01.2015 को ही अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2023 को अपने अन्य अधिवक्ता श्री सांवतराम गर्जुर के द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 19.12.2023 को नकल प्राप्त की। इस पर अपीलार्थी ने बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उक्त अपील की सुनवाई गुणावगुण पर करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी परिस्थितिवश एवं मजबूरी वश रही है जो क्षमा किये जाने योग्य है। फिर भी किसी कानूनी प्रक्रिया में नही पडकर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। संभागीय आयुक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **संदीप चौधरी बनाम राजस्थान सरकार** **प्रार्थना पत्र बाजदायरी** जीसीएमएस **नम्बर 2023/508**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत अपील संख्या 153/14 उनवानी संदीप चौधरी बनाम जिला मजिस्ट्रेट जयपुर विचाराधीन थी। जिसमें वकील अपीलांट दिनांक 10.11.2014 से दिनांक 06.01.2015 तक अनुपस्थित रहें है। दिनांक 06.01.2015 को भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित रहे हैं। अपीलान्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अपील दिनांक 06.01.2015 को अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की गयी है। वकील प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2015 की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2023 को प्रार्थना पत्र बाजदायरी न्यायालय हाजा में लगभग 7 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2023 को जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त बाजदायरी अपील दिनांक 06.01.2015 को ही अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2023 को अपने अन्य अधिवक्ता श्री सांवतराम गर्जुर के द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 19.12.2023 को नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत कर दिया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 के सम्बन्ध में प्रार्थना बाजदायरी देरी से पेश करने का कारण सन्तोषपद्र प्रतीत नहीं होता है कि उसे न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2015 की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश करने में हुये विलम्ब लगभग 7 वर्ष का ठोस कारण सन्तोषपद्र नहीं दिया गया है। जिसके कारण प्रार्थना बाजदायरी पेश करने में हुये लगभग 7 वर्ष की अवधि की विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना बाजदायरी दफा 5 मियाद अधिनियम पर खारिज किया जाता उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।